FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

रामावतार **बनाम** नगरपरिषद वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र धारा 73(2) नगरपालिका अधि0 नम्बर–03 सन्– 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
31.01.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा नगरपालिका मंडल दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 3.11.2011 को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि धारा 73 के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उक्त निगरानी को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को हस्तान्तरित फरमाई जावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.6.2016 अवलोकनीय है जिसके अनुसार " राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप–धारा (2) सपठित धारा 337 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक सम्भाग के सम्भागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अधीन संपत्ति के अन्तरण और संविधा से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत (Authorized) किया जाता है।" उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राज0 नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप–धारा (2) के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय, जयपुर सम्भाग जयपुर को स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 04.03.2025 को माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय जयपुर के न्यायालय में उपस्थित होवें। पत्रावली इस न्यायालय से नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified कलक्टर Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.10.01 10:46:07 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official